



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-22012026-269533
CG-TL-E-22012026-269533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947

No. 327]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 355(अ).— भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 20एफ) की धारा 20डी के भाग-II, उप-धारा (1) के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त उप-धारा के प्रयोजन के लिए मध्यस्थ नियुक्त करती है, जो उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उक्त तालिका के कॉलम (3) और (4) में निर्दिष्ट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर होगा. मध्यस्थ द्वारा निर्णय पारित करते समय अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) और (3) को ध्यान में रखा जाएगा।

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	जिला का नाम	राज्य
1	जिला कलक्टर	महबूबनगर	तेलंगाना

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/200126]

के.नागभूषण राव, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-VI

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railways)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 20th January, 2026

S.O. 355(E).— In pursuance of Part-II, Sub-section (1) of Section 20D of the Indian Railways Act 1989 (20F of 1989) , the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in Column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said Sub-section who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on Arbitrator by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column(3) and (4) of the said table. Sub-section (1) & (3) of Section 20D of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

Sl.No.	Designation of the Officer	Name of District	State
1	District Collector	Mahabubnagar	Telangana

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/200126]

K. NAGABHUSHANA RAO, Chief Engineer/Con-VI.